| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहलकार ... हुक्म ... के ... |
| --- | --- | --- |
| 5.11.20 | पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। दस्तावेज पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है। उभय पक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की, जब कि वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपने बहस में बताया कि कब्जे काश्त को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी की जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।<br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पड़ौसी के कब्जे को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है. निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>Sd/-<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.11 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 172/19 प्रा०पत्र

1– श्री बंशीलाल S/o श्री ऊदा बलाई निवासी- चाँदरास तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोपाल S/o मोहन बलाई निवासी- चाँदरास तहसील- माण्डल [वगैरा]
(प्रार्थनापत्र अनुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 05.11.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......चाँदरास......पटवार हल्का...चाँदरास......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न.2518/424, 2769/424 कुल किता......02......रकबा......07......बीघा......—......विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......26.11.19......को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...चाँदरास......पटवार हल्का...चाँदरास......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.2518/424, 2769/424......कुल किता......02......रकबा......07......बीघा......—......विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक...चाँदरास......400/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.11 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner